राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक : प. 22(8)ससद/93 पार्ट

जयपुर, दिनांक 15/01/2026

:: आदेश ::

सौलहवी राजस्थान विधान सभा का पंचम सत्र बुधवार, दिनांक 28 जनवरी, 2026 को प्रातः 11.00 बजे पूर्वान्ह राजस्थान विधान सभा भवन, ज्योतिनगर, जयपुर में प्रारम्भ होने जा रहा है। राजस्थान विधान सभा के इस सत्र के दौरान विभाग के विभिन्न कार्यो के सम्पादन हेतु निम्न अधिकारी प्रभारी (इन्चार्ज) होगें :-

क्र. सं.	विषय	अधिकारी का नाम	टेलीफोन न.	
			कार्यालय/सचिवालय पीएबीएक्स 2820456	मोबाइल नं. /निवास
1.	विधि के किसी प्रश्न का परामर्श हेतु और वादकरण के किसी मामलें हेतु।	श्री सुरेश चंद बंसल शासन सचिव, विधि विभाग	24526,24527 2227526	9414256175
2.	विधान सभा प्रश्नों के इन्चार्ज।	श्री सुरेन्द्र पुरोहित विशिष्ट शासन सचिव, विधि (विधि रचना संगठन) विभाग एवं इनकी अनुपलब्धता पर श्री महेश पुनेठा विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग	24536, 24537, 2227316 24530, 24531 2227671	9772827000 9414485300
3.	विधायी प्रारूपण और विधेयकों के संबंध में।	श्रीमती मेघना जैन विशिष्ट शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) विभाग	23616, 24535	9001708090
4.	उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और न्याय प्रशासन संबंधी मामले।	श्री अंकित रमन संयुक्त शासन सचिव, विधि (न्याय) विभाग	24522, 24523, 2227892	9414022330
5.	संसदीय कार्य विभाग से संबंधित मामले।	श्री प्रेम नारायण, वरिष्ठ शासन उप सचिव संसदीय कार्य विभाग	24538	9829205967

1. राजस्थान विधान सभा प्रश्नों के संबंध में जो विधि विभाग, विधि एवं विधिक कार्य (न्याय) विभाग, विधायी प्रारूपण विभाग, संसदीय कार्य विभाग एवं विधि परामर्शी कार्यालय से संबंधित है, विशिष्ट शासन सचिव, विधि (विधि रचना) विभाग निगरानी करेगें, संचालन करेगें, प्रश्न के अन्तिम उत्तर के साथ राजस्थान विधान सभा सचिवालय को भिजवायेगें तथा प्रश्नोत्तर के समय विधान सभा दीर्घा में उपस्थित रहेगें। उपस्थिति के दौरान अपने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विधान सभा स्थित प्रमुख विधि सचिव कक्ष संख्या 138 में उपस्थिति सुनिश्चित करावें।

2. राजस्थान विधान सभा के इस सत्र के दौरान सदन में उठाये जाने वाले मुद्दों की जानकारी रखने एवं उच्च अधिकारियों को अवगत कराये जाने के परिपेक्ष्य में श्री राजेश आचार्य, विधि रचना अधिकारी, विधि (विधि रचना) विभाग (सप्ताह के प्रथम तीन दिवस) तथा श्री राजेन्द्र भाटिया, विधि रचना अधिकारी, विधि (विधि रचना) विभाग (सप्ताह के अन्तिम तीन दिवस) राजस्थान विधान सभा स्थित प्रमुख विधि सचिव के कक्ष संख्या 138 में उपस्थित रहकर प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे।

15/01/2026

Scanned with OKEN Scanner

3. राजस्थान विधान सभा के इस सत्र के दौरान श्री रोहन सिंह भाटी, सलाहकार, विधि विभाग, श्री प्रणीत कुमार शर्मा, अतिरिक्त निजी सचिव, वरिष्ठ शासन उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग एवं श्री राधेश्याम शर्मा, सेवानिवृत्त अनुभागाधिकारी (समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त) विधि (पुस्तकालय) विभाग (सप्ताह के पूरे कार्य दिवस) एवं श्री राधेश्याम शर्मा की अनुपस्थिति में श्री हरि प्रकाश खराड़ी, लिपिक ग्रेड प्रथम, संसदीय कार्य विभाग तथा श्री विकास शर्मा, लिपिक ग्रेड द्वितीय, संसदीय कार्य विभाग, सप्ताह के प्रथम तीन दिवस (सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार) एवं श्री विकास जाट, लिपिक ग्रेड द्वितीय, संसदीय कार्य विभाग, सप्ताह के अंतिम तीन दिवस (गुरूवार, शुक्रवार एवं शनिवार) तथा सप्ताह के पूरे कार्य दिवस श्री हर्ष सैनी, च.श्रे.क (सिविल डिफेंस), संसदीय कार्य विभाग (पूर्वान्ह से सांय 5.00 बजे तक), श्री मदन लाल सैनी, च.श्रे.क., संसदीय कार्य विभाग (सांय 3.00 बजे से तद्दिवस के सत्र की समाप्ति तक) तथा इन दोनों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनुपस्थिति में श्री रामकिशोर, च.श्रे.क., विधि (विधि रचना) विभाग एवं श्री रामकिशोर, च.श्रे.क., की अनुपस्थिति में श्री सत्येन्द्र सिंह, च.श्रे.क (होमगार्ड), विधि विभाग राजस्थान विधान सभा सचिवालय स्थित प्रमुख विधि सचिव के कक्ष संख्या 138 में उपस्थिति देंगे। कार्मिक द्वारा किसी दिन की अपनी अनुपस्थिति में उन्हें स्वयं अपने स्थानापन्न कार्मिक की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

4. सत्र के दौरान उक्त आदेश में वर्णित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित कार्यों एवं समय निर्धारण को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मौखिक/लिखित रूप से संशोधित/परिवर्तित किया जा सकेगा।

5. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं संसदीय कार्य विभाग, विधि सम्मत कार्य/मंत्रिमण्डल की बैठक में उपस्थिति हेतु निर्देश प्राप्त होने पर विधान सभा सचिवालय स्थित कक्ष सं. 138 हेतु शासन सचिवालय स्थित प्रमुख विधि सचिव कार्यालय में कार्यरत निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव/कार्मिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपस्थिति देंगे।

6. राजस्थान विधान सभा के सत्र के दौरान बिना पूर्व अनुमति के विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठों के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अवकाश पर नही रहेगें तथा बिना पूर्व लिखित स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगें।

7. प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग के अनुपलब्ध होने पर विधि विभाग में कार्यरत शासन सचिव कार्य सम्पादित करेंगे।

8. समस्त विशिष्ट शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी/वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, विधि विभाग तथा विधि एवं संसदीय कार्य विभाग के उपरोक्त वर्णित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कृपया राजस्थान विधान सभा सत्र के दौरान प्रवेश हेतु वे स्वयं के एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के निजी/राजकीय वाहन (कोई एक) की संख्या एवं फोटो आदि विवरण आदि दिनांक 19.01.2026 को सांय 5.00 बजे तक संसदीय कार्य विभाग के कमरा नम्बर 1003 में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि अस्थायी प्रवेश-पत्र एवं वाहन पास नियत समयावधि से पूर्व तैयार हो सके।

9. उक्त निर्धारित तिथि तक उक्त पालना नही कर पाने की स्थिति में वे स्वयं के स्तर पर ही वाहन पास एवं अस्थायी प्रवेश-पत्र बनवायेंगे तथा विधान सभा ड्यूटी पर अनुपस्थित होने पर वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर।
4. शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग।
7. प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-2) विभाग।
8. कार्मिक (ख-2) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

(प्रेम नारायण)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

Scanned with OKEN Scanner